

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2013/आषाढ़ 14, 1935

No. 1569]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2013/ASADHA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2013

का.आ. 2037 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण समिति को उद्भूत हो रही निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उसे गुजरात सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय अधिसूचित करती है, नामतः—

“केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि”

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-2012 एवं 2012-13 हेतु लागू हुआ माना जाएगा तथा यह वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, एवं 2015-16 में भी लागू होगा।

3. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, नामतः :—

- (क) गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण समिति किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं है;
- (ख) गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण समिति की गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष के दौरान एक ही रहती है; तथा
- (ग) गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण समिति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (घ) के उपबंध के अनुसार अपनी आय की विवरणी दाखिल करता है।

[अधिसूचना सं. 52/2013/फा. सं. 196/65/2012-आई टी ए-1]

दीपशिखा शर्मा, उप सचिव (आईटीए-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi the 5th July, 2013

S.O. 2037 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Gujarat State AIDS Control Society, a body constituted by the Government of Gujarat, in respect of the following specified income arising to that Society, namely :—

“amount received in the form of grants-in-aid from the Central Government”

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-2012 and 2012-2013 and shall be applicable for the financial years 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016.

3. The notification shall be effective subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Gujarat State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of the Gujarat State AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial year; and
- (c) the Gujarat State AIDS Control Society files return of income in accordance with clause (g) of sub-section (4C) of Section 139 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 52/2013/F. No.196/65/2012-ITA. I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Dy. Secy. (ITA. I)